बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 65/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – उपनिदेशक शारीरिक शिक्षा पटना प्रमण्डल, पटना।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2006–07 से 2009–10

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – कला सांस्कृति एवं युवा विभाग बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल :–

1. श्री योगेश नारायण दास, निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार 2006–07
2. श्री अब्दुर रहमान, निदेशक वर्ष 2007–08 एवं 2008–09
3. श्री हेमचन्द्र प्रसाद, निदेशक वर्ष 2009–10

(ङ) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम , पदनाम तथा कार्यालय –

1. श्री बैजनाथ प्रसाद, उपनिदेशक 1.4.06 से 24.07.07 तक
2. श्री दीन बंधु शर्मा, उपनिदेशक 24.07.07 से 31.5.08 तक।
3. श्री अरूण कुमारी विद्यार्थी, उपनिदेशक 01.06.08 से 14.7.08 तक
4. श्री अरूण कुमार सिंह, उपनिदेशक 14.07.08 से 3.07.09 तक

5. श्री अरूण कुमार विद्यार्थी, उपनिदेशक 3.07.09 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी के नाम एवं पदनाम :– 1. श्री अरूण कुमार विद्यार्थी, उपनिदेशक
2. श्री अरविन्द पाण्डे, लिपिक

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम :– 1. श्री श्रवण कुमार अग्रवाल– व0 अं0 –2
2. श्री प्रदीप कुमार साहा– व0 अं0 – 2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – दि0 29.8.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 17.11.2011

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 29 दिन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–
अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

1 अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य

2 वित्त (अं0) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि – विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 एवं 134 दिनांक 19.08.2011

3 कार्यालय का कार्यक्षेत्र – प्रमण्डलीय एवं राज्य स्तरीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन

4 वित्तीय श्रोत – राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के विरूद्ध निकासी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य। आवंटन के अतिरिक्त जिलाधिकारी पटना द्वारा खेलकूद मद में खेल कार्यक्रम आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी थी। विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य ।

5 कोषागार अभिलेख से सत्यापन

की स्थिति – आंशिक सत्यापन किया गया । कोषागार द्वारा निकासी की गयी राशि का सत्यापन पूर्ण रूप से कोषागार अभिलेख एवं कम्प्यूटर में दर्ज प्रविष्टि से किया गया। परन्तु कोषागार में जमा की गयी राशि का सत्यापन अनुसूची उपलब्ध नही कराये जाने के कारण नही किया जा सका। विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर दृष्टव्य।

6 महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति –

कार्यालय द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया। अतः अनुपालन की जानकारी नही हो सकी।

7 वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति – प्रतिवेदन उपलब्ध नही काराया गया। अतः अनुपालन की जानकारी नही हो सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा –

(1) आंवटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी है– नहीं

(2) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया– अनुदान प्राप्त नहीं।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था – अनुदान प्राप्त नही हुआ था।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति – भौतिक सत्यापन नही कराया गया।

(5) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति–

(क) नकद राशि – शून्य

(ख) बैंक खाता में कुल राशि – शून्य

(ग) बैंक खाता में सूद की राशि – शून्य

(घ) अग्रिम की राशि – शून्य

(ड़) असमायोजित अभिश्रव – शून्य

(घ) अन्य बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक आदि – शून्य

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण –

विवरणी परिशिष्ट 'घ' द्रष्टव्य

स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम
3	3	–

भाग – 2

अंकेक्षण में पायी गयी आपत्तियाँ

(5) रू0 260.00 का कल्पित व्यय दिखाया जाना, वसूली योग्य :–

वित्तीय वर्ष 2009–10 के कार्यालय व्यय के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा मेसर्स लक्ष्मी तौलिया हैण्डलूम वारी रोड पटना को रू0 260.00 का भुगतान रोकड़ पुस्त में विपत्र सं0 16/2009–10 एवं अभिश्रव संख्या 33 द्वारा दिनांक 15.12.09 को समेकित रूप से दिखाया गया था। (विपत्र की समेकित राशि रू0 5000.00) किन्तु दुकानदार द्वारा प्रदत्त कैशमेमों पर क्रय किये गये किसी प्रकार के सामान का विवरण अंकित नही था। सादा कैशमेमों को ही पारित कर भुगतान दिखाया गया था। साथ ही कार्यालय द्वारा क्रय एवं वितरण से सम्बन्धित भंडार पंजी का संधारण नही किया गया था। इस प्रकार कल्पित विपत्र के माध्यम से व्यय किया गया। जिसे सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय, एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(6) प्रावधन के विरूद्ध रू0 2794.00 का भुगतान वसूली योग्य :–

वेतन भुगतान पंजी वर्ष 06—07 एवं 07—08 की जाँच में पाया गया कि अरविन्द पाण्डे, लिपिक द्वारा परिवार नियोजन भत्ता के रूप में एक वेतन वृद्धि का लाभ मार्च 06 से फरवरी 08 तक महँगाई वेतन, महँगाई भत्ता एवं आवास भत्ता को जोड़कर कुल रू0 2974.00 का भुगतान किया गया था। 1.1.96 के बाद परिवार नियोजन कराने वाले सरकारी कर्मचारी के केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर परिवार नियोजन भत्ता अनुमान्य है, जिस पर किसी प्रकार का अन्य लाभ भत्ता अदेय है। विवरणी परिशिष्ट 'च' पर दृष्टव्य है।

इस प्रकार श्री पाण्डे द्वारा अंकेक्षित अवधि में लिये गये कुल रू0 2974.00 का म0 भत्ता एवं अन्य भत्ते के रूप में भुगतान वसूलनीय है, जिसे वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय।

जाँच में पाया गया कि पाण्डे द्वारा यह लाभ अंकेक्षित अवधि से पूर्व (नवम्बर 01 से फरवरी 06) से ही भुगतान किया गया था। अतः प्रशासी विभाग को सलाह दी जाती है कि नवम्बर 01 से फरवरी 06 तक वेतन वृद्धि पर लिये गये अन्य लाभ की गणना कर उक्त राशि को सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा करायी जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(7) प्रावधान के विरूद्ध रू0 555.00 का भुगतान वसूली योग्य :—

कला सांस्कृति एवं युवा विभाग के ज्ञापांक 66 दिनांक 15.1.10 द्वारा जिला स्तर साइकिल रैली एवं रेस के सम्बन्ध में तकनीकि परामर्श हेतु श्री संतोष त्रिवेदी, बिहार साइकिल एसोसियेशन के मोबाइल संख्या 94367—32333 को प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया था। परन्तु खेल से सम्बन्धित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अभिश्रव सं0 12 दिनांक 19.3.10 एवं विपत्र संख्या 23/09—10 द्वारा मेसर्स स्काईलान कम्यूनिकेशन, आरा गार्डेन रोड, पटना से अधिकृत मोबाइल नम्बर पर रिचार्ज नही कराकर किसी अन्य मोबाइल जिसका नम्बर 9199115567 था, को रीचार्ज कर प्रयोग में लाया गया जो प्रावधान के विरूद्ध है।

इस प्रकार प्रावधान के विरूद्ध व्यय की गयी राशि रू0 555.00 सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा किया जाय एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(8) रू0 1216.62 के वैट की कटौती नही किया जाना राजस्व की क्षति :—

वित्तीय वर्ष 06—07 के कार्यालय व्यय के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा मेसर्स चोआइस आर0 के एवेन्यू पटना से उनके कैश मेमों न0 5 दिनांक 14.3.07 द्वारा एक स्टील आलमीरा का क्रय रू0 6000.00 में किया गया था। (आलमीरा का मूल्य रू0 5333. 00+वैट 12 $\frac{1}{1}$ प्रतिशत = रू0 666.62 = रू0 5999.62 या 6000) राशि का भुगतान विपत्र सं0

28/06–07 द्वारा दिनांक 26.03.07 को किया गया था। किन्तु कार्यालय द्वारा आलमीरा की खरीद पर वैट काटकर भुगतान नही किया गया था।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 09–10 में कार्यालय द्वारा मेसर्स चोआइस स्टील आर0 के एवेन्यू, पटना से उनके कैशमेमों न0 50 दिनांक 9.3.10 द्वारा एक स्टील आलमीरा का क्रय 4995.00 (आलमीरा का मूल्य रू0 4400+वैट12 $\frac{1}{1}$ प्रतिशत = रू0 550.00 + भाड़ा रू0 45.00) में किया गया था। राशि का भुगतान समेकित रूप से विपत्र सं0 25 एवं अभिश्रव सं0 77 द्वारा दिनांक 16.03.10 को रोकड़ पुस्त में दिखाया गया था। (विपत्र की समेकित राशि रू0 15000.00 थी) किन्तु कार्यालय द्वारा वैट काटकर भुगतान नही किया गया था।

इस प्रकार कार्यालय द्वारा आलमीरा की खरीद पर रू0 1216.62 (रू0 666.62 एवं रू0 550.00) का वैट काटकर भुगतान किया जाना था, जो नही किया गया। साथ ही कार्यालय द्वारा वैट नही काटे जाने के सम्बन्ध में दुकानदार द्वारा प्रदत्त फार्म C III भी अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। यह बिहार वैट अधिनियम 2005 के सेक्सन 40 एवं नियम 28 के प्रतिकूल है। वैट नही काटे जाने के कारण रू0 1216.62 के राजस्व की क्षति हुई जिसकी क्षति पूर्त्ति एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। आपत्ति अर्न्तगत कुल राशि रू0 5100.00 (रू0 4000+595.00 +505.00)

(9) रू0 4000.00 का व्यय आपत्ति अर्न्तगत :–

(क) (i) – वर्ष 07–08 में जिलाधिकारी कार्यालय, पटना द्वारा उपनिदेशक पटना प्रमण्डल ,पटना को निःशक्त खेल के आयोजन हेतु रू0 4000.00 उपलब्ध कराया गया था।

किन्तु खेल से सम्बन्धित अभिश्रव कार्यालय द्वारा अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित नहीं कराया गया। फलस्वरूप खेल पर व्यय की गयी राशि रू0 4000.00 के अभिश्रवों की जाँच नही की जा सकी।

अतः अभिश्रव प्रस्तुत कर सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय, तब तक रू0 4000.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(क) (ii) रू0 595.00 का भुगतान आपत्ति अर्न्तगत :–

वित्तीय वर्ष 07–08 के कार्यालय व्यय के अभिश्रवों की जाँच एवं आकस्मिक पंजी से मिलान में पाया गया कि भिन्न–भिन्न तिथियों को विभिन्न दुकानदारों को फोटो स्टेट करने हेतु

595.00 का भुगतान विपत्र सं0 15 द्वारा दिनांक 29.11.07 को दिखाया गया था। (विपत्र की समेकित राशि रू0 7000.00 थी) किन्तु भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिश्रव अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। विवरणी निम्नवत् हैं।

क्रम सं0	अभिश्रव संख्या	दिनांक	दुकानदार का नाम	भुगतान की राशि	अभ्युक्ति
1	2	30.4.07	मेसर्स जगदम्बा फोटो स्टेट सैदपुर, पटना	61.00	उक्त रकम का भुगतान विपत्र सं0 15 द्वारा दि0 29.11.07 को समेकित रूप से रोकड़ पुस्त में दिखाया गया था। विपत्र की राशि रू0 7000.00
2	5	30.4.07	मेसर्स शिवम प्रकाशन फार्मा एवं पुस्तक संसार, पटना	389.00	
3	7	10.05.07	मेसर्स सुलभ फोटोकॉपियर सैदपुर, पटना	82.00	
4	24	1.10.07	मेसर्स जगदम्बा फोटो स्टेट सैदपुर, पटना।	63.00	
				595.00	

भुगतान से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिश्रव प्रस्तुत कर सक्षम पदाधिकारी से जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय तबतक राशि रू0 595.00 का भुगतान आपत्ति अर्न्तगत रखा जाता हैं।

(क) (iii) रू0 505.00 का व्यय आपत्ति अर्न्तगत :–

वित्तीय वर्ष 06–07 के कार्यालय व्यय के अभिश्रवों का आकस्मिक पंजी से मिलान एवं जाँच में पाया गया कि श्री अरविन्द पाण्डे, लिपिक एवं श्री वंसत रजक, आदेशपाल को क्रमशः रू0 300.00 एवं रू0 205.00 का भुगतान स्थानीय रिक्सा भाड़ा हेतु विपत्र सं0 16/2006–07 एवं अभिश्रव सं0 25 एवं 26 द्वारा दिनांक 11.01.07 को समेकित रूप से किया गया था। (विपत्र की समेकित राशि रू0 9986.00) किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिश्रव अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया, जिससे व्यय की औचित्यतता स्पष्ट नही हो सकी।

अतः अभिश्रव प्रस्तुत कर सक्षम पदाधिकारी से जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अं0) विभाग को सूचित किया जाय। तबतक राशि रू0 505.00 का व्यय आपत्ति अर्न्तगत रखा जाता है।

भाग–3 (सुझावात्मक)

(10) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :–

(क) आवंटन के अतिरिक्त अन्य श्रोतो से खेल कूद मद में प्राप्त राशि/व्यय का संधारण कर अंकित रोकड़ पंजी में नही किया जाना।

विभिन्न अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि खेलकूद मद में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध निकासी राशि एवं उसके व्यय का संधारण रोकड़ पंजी के आय एवं व्यय पक्ष में किया गया था, किन्तु आवंटन के अतिरिक्त दूसरे श्रोतो से प्राप्त राशि/व्यय का संधारण रोकड़ पंजी में नही कर खेल से सम्बन्धित संचिका में संधारित किया गया था। जो बिहार कोषगार संहिता भाग–1 के नियम 86(ii) के प्रतिकूल है।

भविष्य में सभी मौद्रिक लेन–देन को सामान्य रोकड़ पंजी में प्रविष्ट किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) रू0 792588.00 का कोषागार सत्यापन नही किया जाना :–

वित्तीय वर्ष 06–07 से 09–10 के कोषागार सत्यापन में कार्यालय द्वारा कोषागार में जमा राशि 792588.00 रू0 का कोषागार सत्यापन कोषागार अनुसूची अनुपलब्ध /अव्यवस्थित रहने के कारण नही किया जा सका। जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'छ' संलग्न है।

अतः सक्षम पदाधिकारी द्वारा जमा शिडियूल प्राप्त कर 792588.00 कोषागार में जमा किया गया, या नही, की जाँच कर वास्तविक स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम

(1)

(2)

परिशिष्ट ‘क’
(कंडिका 1‘ट’ से सम्बन्धित)
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना
वर्ष 2006–07 से 2009–10
प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेखों

1. विपत्र पुस्त।
2. रोकड़ पुस्त।
3. वेतन भुगतान पंजी।
4. आवंटन एवं व्यय पंजी।
5. कार्यालय अभिश्रव।
6. आकस्मिकता पंजी।
7. खेलकूद कार्यक्रम से संबंधित अभिश्रव।
8. यात्रा भत्ता विपत्र को कार्यालय प्रति।

अप्रस्तुत अभिलेख

1. सेवा पुस्त।
2. भंडार पंजी।

परिशिष्ट 'ख'
(कंडिका 2(4) से संबंधित)
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना
आवंटन एवं व्यय विवरणी 2006–07

क्रम सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	व्ययगत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	वेतन	428500.00	419598.00	—	—	8902.00	44 / 30.3.07	
2	मँहगाई वेतन	135000.00	130710.00	—	—	4290.00	44 / 30.3.07	
3	मँहगाई भत्ता	146400.00	140802.00	—	—	5598.00	44 / 30.3.07	
4	कार्यालय व्यय	30000.00	30000.00	—	—	—	—	
5	यात्रा भत्ता	25000.00	24826.00	—	—	174.00	44 / 30.3.07	
6	वर्दी	2880.00	2880.00	—	—	—	—	

परिशिष्ट 'ख'
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना
आवंटन एवं व्यय विवरणी 2007–08

क्रम सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	व्ययगत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	वेतन	379000.00	244988.00	–	–	134012.00	14 / 25.3.08	
2	मँहगाई वेतन	130000.00	76502.00	–	–	53498.00	14 / 25.3.08	
3	मँहगाई भत्ता	117700.00	106604.00	–	–	11096.00	14 / 25.3.08	
4	कार्यालय व्यय	7000.00	7000.00	–	–	–	–	
5	यात्रा भत्ता	10000.00	3576.00	–	–	6424.00	14 / 25.3.08	
6	वर्दी	–	–	–	–	–	–	

परिशिष्ट 'ख'
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना
आवंटन एवं व्यय विवरणी 2008–09

क्रम सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	व्ययगत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	वेतन	333500.00	221641.00	—	—	111859.00	37 / 31.3.09	
2	मँहगाई वेतन	130000.00	46224.00	—	—	83776.00	37 / 31.3.09	
3	मँहगाई भत्ता	101400.00	95387.00	—	—	6013.00	37 / 31.3.09	
4	कार्यालय व्यय	5000.00	5000.00	—	—	—	—	
5	यात्रा भत्ता	4000.00	3722.00	—	—	278.00	37 / 31.3.09	
6	वर्दी	2500.00	—	—	—	2500.00	37 / 31.3.09	

परिशिष्ट 'ख'
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना
आवंटन एवं व्यय विवरणी 2009–10

क्रम सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	व्ययगत राशि	प्रत्यार्पित राशि	पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	वेतन	682100.00	681838.00	—	—	262.00	51 / 31.3.10	
2	मँहगाई भत्ता	142700.00	142623.00	—	—	77.00	51 / 31.3.10	
3	कार्यालय व्यय	25000.00	25000.00	—	—	—	—	
4	यात्रा भत्ता	8000.00	8000.00	—	—	—	—	
5	वर्दी	2850.00	—	—	—	2850.00	51 / 31.3.10	

परिशिष्ट 'ख'
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना
खेल कूद प्रतियोगिता मद में प्राप्त आवंटन एवं व्यय वर्ष 2006–07

क्रम सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य / पटना प्रमंडल / जिला / प्रखंड विद्यालय खेल	79900.00	79900.00	शून्य	शून्य	शून्य	
2	खेल कूद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना	615888.00	615888.00	शून्य	शून्य	शून्य	

परिशिष्ट 'ख'
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना
खेल कूद प्रतियोगिता मद में प्राप्त आवंटन एवं व्यय वर्ष 2007–08

क्रम सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	पटना प्रमंडल / जिला / प्रखंड विद्यालय खेल	24500.00	24500.00	—	—	—	
2	ग्रामीण महिला खेलकूद	2638280.00	2638280.00	—	—	—	

नोट– वित्तीय वर्ष 08–09 में खेल कूद मद में किसी प्रकार का आवंटन प्राप्त नही था।

परिशिष्ट 'ख'
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना
वर्ष 2009–10 में खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्राप्त
आवंटन एवं व्यय विवरणी :–
वर्ष 2009–10

क्रम सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य स्तरीय साइकिल रेस का आयोजन हेतु	60000.00	60000	शून्य	शून्य	शून्य	

परिशिष्ट 'ग'

जिलाधिकारी कार्यालय, पटना से खेलकूद आयोजन मद में वर्ष 2006–07 से 2009–10 में प्राप्त कुल राशि एवं इसके व्यय की विवरणी :–

क्रम सं0	वर्ष	मद	प्राप्त राशि	व्यय	बचत	अभ्युक्ति
1	2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2	2007–08	पटना प्रमंडल निःशक्त खेल	4000.00	4000.00	शून्य	
3	2008–09	1 पटना प्रमंडल/जिला/प्रखंड विद्यालय खेल 2 पटना प्रमंडल निःशक्त खेल प्रतियोगिता	13000.00 12000.00	13000.00 12000.00	शून्य शून्य	
4	2009–10	1 पटना प्रमंडल/विद्यालय खेल 2 पटना प्रमंडल/निःशक्त खेल प्रतियोगिता	80000.00 32000.00	80000.00 32000.00	शून्य शून्य	

परिशिष्ट 'घ'
(कंडिका –4 से सम्बन्धित)
उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, पटना प्रमंडल, पटना के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची – 2009–2010

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	उप निदेशक	1	1	शून्य	
2	लिपिक	1	1	शून्य	
3	आदेशपाल	1	1	शून्य	
	कुल योग–	3	3	शून्य	

परिशिष्ट 'च' कंडिका –6

श्री अरविन्द पाण्डे लिपिक द्वारा मार्च 06 से फरवरी 08 तक परिवार नियोजन की वेतन वृद्धि पर लिये गये अदेश महँगाई वेतन, महँगाई भत्ता एवं आवास भत्ता की विवरणी :–

भुगतीत राशि							भुगतान योग्य राशि						
क्रम सं0	माह／वर्ष	मूल वेतन + परिवार नियोजन भत्ता +महँगाई वेतन	मं0 भ0 दर	महँगाई भत्ता	आवास भत्ता	कुल योग	मूल वेतन +महँगाई वेतन	परिवार नियोजन भत्ता	मं0 भ0 दर	महँगाई भत्ता	आवास भत्ता	कुल योग	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मार्च 06	(4500+100)= 4600+2300= 6900	24 %	1656	1035	9591	(4500+2250)= 6750	100	24 %	1620	1013	9483	108
2	अप्रील 06	(4500+100)= 4600+2300=6900	24 %	1656	1035	9591	(4500+2250)= 6750	100	24 %	1620	1013	9483	108
3	मई 06	(4500+100)= 4600+2300=6900	24 %	1656	1035	9591	(4500+2250)= 6750	100	24 %	1620	1013	9483	108
4	जून 06	(4500+100)= 4600+2300=6900	24 %	1656	1035	9591	(4500+2250)= 6750	100	24 %	1620	1013	9483	108
5	जुलाई 06	(4500+100)= 4600+2300=6900	29 %	2001	1035	9936	(4500+2250)= 6750	100	29 %	1958	1013	9821	115
6	अगस्त 06	(4500+100)= 4600+2300=6900	29 %	2001	1035	9936	(4500+2250)= 6750	100	29 %	1958	1013	9821	115
7	सितंबर 06	(4500+100)= 4600+2300=6900	29 %	2001	1035	9936	(4500+2250)= 6750	100	29 %	1958	1013	9821	115
8	अक्टूबर 06	(4600+100)= 4700+2350=7050	29 %	2044	1057	10151	(4600+2300)= 6900	100	29 %	2001	1035	10036	115
9	नवम्बर 06	(4600+100)= 4700+2350=7050	29 %	2044	1057	10151	(4600+2300)= 6900	100	29 %	2001	1035	10036	115
10	दिसम्बर 06	(4600+100)= 4700+2350=7050	29 %	2044	1057	10151	(4600+2300)= 6900	100	29 %	2001	1035	10036	115

11	जनवरी 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	35 %	2468	1058	10576	(4600+2300)= 6900	100	35 %	2415	1035	10450	126
12	फरवरी 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	35 %	2468	1058	10576	(4600+2300)= 6900	100	35 %	2415	1035	10450	126
13	मार्च 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	35 %	2468	1058	10576	(4600+2300)= 6900	100	35 %	2415	1035	10450	126
14	अप्रील 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	35 %	2468	1058	10576	(4600+2300)= 6900	100	35 %	2415	1035	10450	126
15	मई 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	35 %	2468	1058	10576	(4600+2300)= 6900	100	35 %	2415	1035	10450	126
16	जून 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	35 %	2468	1058	10576	(4600+2300)= 6900	100	35 %	2415	1035	10450	126
17	जुलाई 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	41 %	2891	1058	10999	(4600+2300)= 6900	100	41 %	2829	1035	10864	135
18	अगस्त 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	41 %	2891	1058	10999	(4600+2300)= 6900	100	41 %	2829	1035	10864	135
19	सितंम्बर 07	(4600+100)= 4700+2350=7050	41 %	2891	1058	10999	(4600+2300)= 6900	100	41 %	2829	1035	10864	135
20	अक्टूबर 07	(4700+100)= 4800+2400=7200	41 %	2952	1080	11232	(4700+2350)= 7050	100	41 %	2890	1057	11097	135
21	नवंबर 07	(4700+100)= 4800+2400=7200	41 %	2952	1080	11232	(4700+2350)= 7050	100	41 %	2890	1057	11097	135
22	दिसंम्बर 07	(4700+100)= 4800+2400=7200	41 %	2952	1080	11232	(4700+2350)= 7050	100	41 %	2890	1057	11097	135
23	जनवरी 08	(4700+100)= 4800+2400=7200	47 %	3384	1080	11664	(4700+2350)= 7050	100	47 %	3314	1057	11521	143
24	फरवरी 08	(4700+100)= 4800+2400=7200	47 %	3384	1080	11664	(4700+2350)= 7050	100	47 %	3314	1057	11521	143

योग— 2974

परिशिष्ट "छ"

(कंडिका –10 'ख' से सम्बन्धित)

उपनिदेशक शारीरिक शिक्षा पटना प्रमण्डल पटना द्वारा पटना समहारणालय स्थित कोषागार में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा की गयी राशि की विवरणी – 2006–07 से 2007–08

क्रम सं0	मद	कोषागार में चलान द्वारा जमा राशि	चालान सं0	जमा की तिथि
1	प्रखण्ड/जिला स्तरीय विद्यालय खेल कूद एवं राज्य स्तरीय ताईक्वाडो तलवारवाजी , लॉनटेनिस प्रतियोगिता	47200.00	524	29.3.07
2	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की राशि	15000.00	2	14.09.07
3	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की राशि	15000.00	2	17.09.07
4	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की राशि	15000.00	–	21.09.07
5	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की राशि	15000.00	–	25.09.07
6	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की राशि	16000.00	02	28.09.07
7	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की राशि	16000.00	02	6.10.07
8	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की राशि	11000.00	02	9.10.07
9	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की	14000.00	05	18.10.07

	राशि			
10	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना मद की राशि	1000.00	02	29.10.07
11	प्रखन्ड स्तरीय विद्यालय खेल	11500.00	037	19.03.08
12	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना	496080.00	02	17.10.07
13	खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना	119808.00		4.10.07
	योग–	792588.00		

नोट क्रम सं0 13 में जमा की गयी राशि रू0 119808 नालन्दा बिहारशरीफ में कोषागार चालान से जमा की गयी।